



सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
(पत्र सूचना शाखा)

प्रेस विज्ञप्ति

- पैक्स सचिवों की समस्याओं का समाधान 15 दिन में
- आगामी एक माह में मण्डल व जिला स्तर पर गोश्टी कर लोगों में सहकारिता के प्रति वि वास पैदा किया जाये
- खाद-बीज का वितरण समिति के माध्यम से कराने का निर्देश ।
—सहकारिता मंत्री

सहकारिता भवन के सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय गोश्टी को सम्बोधित करते हुए प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रमुख सचिव सहकारिता को निर्देशित किया कि पैक्स सचिवों सहित वहां के सभी कर्मियों की समस्याओं का निदान प्रत्येक दिन में 15 दिन में कर दिया जाये। आगामी एक माह में इसी प्रकार की गोश्टी मण्डल व जिला स्तर पर आयोजित की जायेगी। इन गोश्टियों के माध्यम से लोगों को सहकारिता आंदोलन के बारे में जागरूक करते हुए सहकारिता के प्रति वि वास पैदा किया जायेगा। सहकारिता मंत्री ने स्पष्ट भावों में कहा कि प्रमुख सचिव के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे गये हैं कि खाद-बीज का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से ही कराया जाये। इफको व कृषकों के फैन्याइजी को खाद कदापि न दी जाये।

श्री मौर्य ने कहा कि सही अर्थों में सहकारिता जाति, धर्म एवं दलगत जैसे संकीर्ण विचाराधारा से ऊपर है। वैद्यनाथन सिफारिश से मिलने वाला धन प्रदेश की पैक्स एवं जिला सहकारी बैंको के लिए संजीवनी का कार्य करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी सहकारी बंधुओं, सरकारी मीनरी को सजग रहना होगा कि कहीं इस धन का दुरुपयोग न हो। सहकारिता को सर्वजन का बताते हुए

उन्होंने कहा कि इससे खिलवाड़ करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। कृषकों को खाद की किल्लत न हो, इसके लिए प्रदेश में प्रथम बार खाद का अग्रिम भण्डारण शुरू किया गया।

गोश्टी के अध्यक्ष श्री जयवीर सिंह राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बाढ़ नियंत्रण तथा जलोत्सारण योजना विभाग ने सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रदेश में खुहाली, सहकारिता से आसकती है। प्रमुख सचिव सहकारिता श्री चन्द्र प्रकाश ने सभी को विवास दिलाते हुए कहा कि समितियों को व्यवसाय करने की पूरी आजादी है। इस विशयक आदेश भीघ्न निर्गत कर दिये जायेंगे। प्रदेश की लगभग 17 करोड़ की आबादी में मात्र लगभग 1.25 करोड़ सहकारिता के सदस्य होने पर उन्होंने चिन्ता प्रकट करते हुए कहा कि पात्र सभी लघु व सीमान्त कृषकों को इससे जोड़ा जाये। बढ़ती आबादी के चलते आज जोत घटी है। इन जोतों पर स्वतंत्र रूप से खेती करना कठिन है। सहकारी खेती से छोटे कृषक लाभ कमाएंगे इसमें लागत भी कम आयेगी। उन्होंने कहा कि ऋण माफी बार-बार नहीं होगी। लोगों को लिए गये ऋण की वापसी करने के लिए संकल्पित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषक अनावयक डी0ए0पी0 का प्रयोग न करें इसके लिए कृषि विभाग से मिलकर यह व्यवस्था की गयी है कि समिति स्थल पर कृषकों की मिट्टी की जांच हो जाये।

गोश्टी को विधायक श्री भयाम सुन्दर भार्मा, जुगल किशोर, अध्यक्ष नागरिक सुरक्षा संगठन आर0एस0कुशवाहा, निबन्धक सहकारिता श्री राजन भुक्ल सहित प्रदेश के कोने-कोने से आएको-आपरेटर ने सम्बोधित किया।

.....

- सचिवालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारी श्री पद्माकर श्रीवास्तव की असामयिक निधन

उत्तर प्रदेश सचिवालय के वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग में कार्यरत श्री पद्माकर श्रीवास्तव अनुभाग अधिकारी का गत 16 जून 08 की रात्रि 9.00 बजे ब्रेनहेम्ब्रेज हो जाने के कारण असामयिक निधन हो गया है।

यह जानकारी उप सचिव वित्त श्री राजेन्द्र कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि स्व० श्रीवास्तव अपने पीछे पत्नी सहित दो पुत्र छोड़ गये हैं। स्व० श्रीवास्तव के निधन पर प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में एक भोक सभा आहुत कर मृत आत्मा की भांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गई।

.....

● मत्स्य मंत्री के निर्देश पर दो अधिकारी निलम्बित

उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री श्री धर्मराज निशाद के निर्देश पर जनपद अम्बेडकरनगर के ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालन विकास अभिकरण श्री आर०के० श्रीवास्तव तथा मत्स्य निरीक्षक श्री आर०एस०उपाध्याय को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

यह जानकारी मत्स्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह ने देते हुये बताया कि श्री आर०के०श्रीवास्तव को मत्स्य निदेशालय लखनऊ और श्री आर०एस० उपाध्याय को उप निदेशालय मत्स्य फैजाबाद के अधीन सम्बद्ध किया गया है। उन्होंने बताया कि मत्स्य मंत्री के जनपद अम्बेडकरनगर के भ्रमण के दौरान इन अधिकारियों द्वारा प्रोटोकाल का पालन नहीं किया गया और मत्स्य मंत्री द्वारा वांछित सूचनायें प्रस्तुत नहीं की गयीं।

श्री सिंह ने बताया कि ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक श्री आर०के० श्रीवास्तव ने विभागीय मंत्री को भ्रामक तथ्य/सूचना प्रस्तुत करने के साथ ही विभागीय कार्यों में कोई रुचि नहीं ली। उन्होंने बताया कि श्री श्रीवास्तव द्वारा मछुआ आवास तथा जलाशय के निस्तारण आदि में भी लापरवाही बरती जा रही थी।

.....

- गेहूँ का समुचित भण्डारण एवं सी0एम0आर0 की भात-प्रति त वसूली 30 जून 08 तक सुनिश्चित करायी जाए
- भात-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति में हो
-प्रमुख सचिव श्री जैकब थामस

प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री जैकब थामस ने आज यहाँ विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान विपणन भाखा के अधिकारियों को निर्देश दिया कि रबी खरीद वर्ष 2008 में खरीदे जा रहे गेहूँ का भातप्रति त समुचित भण्डारण की व्यवस्था समय से कराएं। उन्होंने वर्ष 2007-08 में धान एवं चावल खरीद की सी0एम0आर0 वसूली की समीक्षा के दौरान कहा कि इस माह के अन्त तक सी0एम0आर0 की भात-प्रति त वसूली सुनिश्चित कर ली जाय। प्रमुख सचिव श्री थामस आवास विकास परिषद, सभागार में खाद्य आयुक्त एवं सभी मण्डलों एवं जिलों के विभागीय अधिकारियों के साथ विपणन एवं आपूर्ति भाखा के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

आपूर्ति भाखा के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय खाद्यान्न वितरण की सही रिपोर्ट भेजे तथा खाद्यान्न वितरण भात-प्रतिशत पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में कराया जाए। कुछ जनपदों यथा आजमगढ़ कानपुर नगर, जालौन, बलरामपुर, श्रावस्ती, बाराबंकी, बरेली, सन्त कबीर नगर में पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में खाद्यान्न वितरण प्रदेश के औसत वितरण - 75 प्रतिशत से काफी कम रहने पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया गया वहीं हरदोई, बहराइच, महाराजगंज में भात-प्रति त वितरण की सूचना पर यहाँ कास चेकिंग कराने का निर्देश दिया गया। विभागीय सामान्य प्रक्रिया के तहत नियमित रूप से वी0पी0एल0 परिवारों के राशन कार्डों के सत्यापन के बाद अपात्र कार्ड निरस्त करने की जनपदवार समीक्षा के दौरान एटा, हथरास, देवरिया, आगरा, कुशीनगर देवरिया, जालौन, सिद्धार्थनगर, बागपत, लखनऊ, हरदोई मिर्जापुर, सोनभद्र, की शून्य प्रगति पर कड़ा असन्तोष व्यक्त किया गया।

बैठक के दौरान वी0पी0एल0 परिवारों की पुनसर्वेक्षित सूची के कम्प्यूटरीकरण की प्रगति, बाढ़ प्रभावित जनपदों हेतु खाद्यान्न वितरण के

लिए की गयी तैयारी, किरासीन तेल वितरण के सम्बन्ध में जारी नये शासनादेश के तहत की जा रही कार्यवाही एवं प्रवर्तन कार्यों की विशेष रूप से समीक्षा की गयी।

.....